न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
27/2022	2022/191	23.06.2022	16.11.2022

उनवान प्रकरण

श्रवण सिंह पुत्र गम्भीरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – सीकर, राज0।

—अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3648/3096 रकबा 1.1850 है0 तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से अंकित है। उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से अन्य का कोई संबंध नही है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश क्रमांक 68 दिनांक 15.06.2022 की अनुपालना में पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी अपनी भूमियों का विधिवत रूपेण पत्थरगढी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नहीं है। पडौसी खातेदारान प्रार्थी को अनायास ही हैरान–परेशान करते रहते है एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एवं प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है। जो कि काफी झगडालू किस्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने–सुनने समझाने से मान नहीं रहे है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा कास्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम हो सकें। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेशकर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा कास्त की कृषि भूमि ख0 न0 3648/3096 रकबा 1.1850 है0 वाकै ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 के अनुसार किए जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी (तहसीलदार) हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि उक्त खसरा नम्बर 3648/3096 की खातेदारी श्रवण सिंह पुत्र गंभीर सिंह राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश वर्तमान में नहीं [illegible] भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। किसी प्रकार की कोई फसल काश्त [illegible] प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रकरण में जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी का कब्जा काश्त मौके पर होने तथा मौके पर वर्तमान में कोई फसल काश्त नहीं होना तथा किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं होने बाबत अवगत कराया गया तथा पटवारी हल्का महरोली द्वारा किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 3648/3096 रकबा 1.1850 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 17.06.2022 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 68/एल.आर./2022 दिनांक 15.06.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का महरोली के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी [illegible] न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में [illegible]त प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 17.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा 3648/3096 रकबा 1.1850 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/— रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/— रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 17.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

16/11/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.11.18 18:16:48 IST
Reason: SelfAttested

16/11/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)